(वाद संख्या–498/17)

28.04.2022

परिवादी, नूर मोहम्मद, गाँधी कुष्ठ आश्रम, छतौनी कॉलनी, मोतिहारी, जिला–पूर्वी चम्पारण से प्राप्त परिवाद–पत्र, जो पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) जिला के सभी ग्यारह कुष्ठ आश्रमों में पाइप लाईन योजना के तहत स्वच्छ जल उपलब्ध कराने से संबंधित है।

उपरोक्त पर जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) व मामले से संबंधित अन्य वरीय प्राधिकारों व मुख्य सचिव, बिहार सरकार से प्रतिवेदन की मांग की गयी।

उक्त के संबंध में गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार सरकार की ओर से राज्य आयोग को समर्पित प्रतिवेदन पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गयी साथ ही साथ परिवादी को यह भी निर्देशित किया गया कि निशचित समय–सीमा तक बिना कोई युक्तिसंगत कारण के प्रत्युत्तर अप्राप्त रहने की स्थिति में राज्य आयोग के स्तर से यह समझते हुए प्रसंगाधीन मामले को संचिकास्त कर दिया जायेगा कि परिवादी को अब उक्त के संबंध में कोई दिलचस्पी नहीं रह गयी है।

दूसरी तरफ गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार सरकार एवं लोक स्वास्थ अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार की ओर से राज्य आयोग में पुनः प्रतिवेदन समर्पित कर सूचित किया गया है कि प्रसंगाधीन मामले से संबंधित विभागों/प्राधिकारों द्वारा परिवादी के परिवाद पत्र में उल्लिखित उक्त तथाकथित कुष्ठ आश्रमों में पाइप लाइन योजना के तहत स्वच्छ जल उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है तथा शीघ्र ही स्वच्छ पेय जल उपलब्ध करा दिया जायेगा।

अब, जबकि प्रसंगाधीन मामले से संबंधित विभागों/प्राधिकारों द्वारा उक्त तथाकथित कुष्ठ आश्रमों में पाइप लाइन योजना के तहत स्वच्छ जल उपलब्ध कराने हेतु आश्वासन दिया जा रहा है तथा दूसरी ओर मामले से संबंधित प्रतिवेदन पर सूचना के बावजूद परिवादी की ओर से निश्चित तिथि तक प्रत्युत्तर राज्य आयोग

को उपलब्ध नहीं कराये जाने से यह प्रतीत होता है कि परिवादी को अब उक्त के संबंध में कोई दिलचस्पी नहीं रह गयी है।

उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के दिनांक–13.01.2022 को पारित आदेश के आलोक में इसे संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार सरकार एवं लोक स्वास्थ अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार के प्रतिवेदन (पृ0–116–108/प0 व पृ0–107–100/प0) की प्रति संलग्न कर तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

निबंधक